जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री दीपक धाकड़, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना का रेफेरेन्स नम्बर 20231000090296, क्षेत्रफल 1.2397 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 168000 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 24.1056 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 3369/3354 एवं 265 निकट ग्राम– बिजवाड़, तहसील– देवली, जिला टोंक (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, देवली, जिला टोंक की अध्यक्षता मे दिनांक 22.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/7986 दिनांक 21.08.2024 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–बूंदी/पी.यू.बी.-103/845–851 दिनांक 21.08.2024 के अनुपालना में मैसर्स श्री दीपक धाकड़, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना का रेफेरेन्स नम्बर 20231000090296, क्षेत्रफल 1.2397 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 168000 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 24.1056 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 3369/3354 एवं 265 निकट ग्राम– बिजवाड़, तहसील– देवली, जिला टोंक (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 22.10.2024 को आयोजित की गई। कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/15210 दिनांक 22.10.2024 के संशोधित आदेश द्वारा उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक को उक्त जनसुनवाई हेतु अधिकृत किया गया।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **दैनिक ताज भारती** के संस्करण में दिनांक 14.09.2024 एवं द **इण्डीयन एक्सप्रेस** के संस्करण में दिनांक 13.09.2024 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् मनोज कुमार मीना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवली, तहसील देवली, जिला टोंक की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने जन सुनवाई के प्रावधान, उदेदश्य एवं महत्त्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एव परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स वितास्ता एन्वायरों सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड़, के तकनीकी सलाहकार श्री सुनिल यादव के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताए, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्रीमान् मनोज कुमार मीना, उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट देवली, जिला टोंक की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

इसी क्रम में श्री दीपक, ग्रामवासी सग्रामपुरा द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा प्रस्तावित पौधारोपण होना चाहिए, सड़के सुरक्षित रहनी चाहिए, वाहनों की ऑवर लोडिंग नहीं की जाये।

Savita

श्री अमन दालजा, ग्रामवासी बीजवार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से कोई आपत्ति नही है। इनके द्वारा सामाजिक एवं गांव के विकास हेतु इनका सहयोग रहता है और पौधारोपण किया जाता है। अतः इस परियोजना से हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

अंत मे ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात् उक्त परियोजना से संवंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नही हुए है।

अंत मे श्रीमान् मनोज कुमार मीना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवली, जिला टोंक की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई मे भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

मनोज कुमार मीना
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
देवली, जिला टोंक (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

सविता
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.म. बूंदी(राज)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री दीपक धाकड़, रेफरेन्स संख्या – 20231000090296, क्षेत्रफल – 1.2397 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 168000, निकट ग्राम– बीजवाड़, तहसील– देवली, जिला– टोंक की प्रस्तावित ग्रेनाईट स्टोन खनन परियोजना मय क्लस्टर, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल – 24.1056 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :–

स्थान :– पंचायत समिति देवली, तहसील – देवली, जिला – टोंक

दिनांक :– 22.10.2024

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	Manoj kumar Meena SDM - Deoli	[signature]
2.	Savita, RO, RSPCB, Bundi	Savita
3.	Rohitash Balai, AEE, RPCB, Bundi	[signature]
4.	Pankaj Sattawan, JEE, RPCB, Bundi	Pankaj
5.	जगदीश, ~~बिजवाड़~~ / बिजवाड़	Jagdish
6.	संजय, बिजवाड़	संजय
7.	अमृत लाल जाट बीजवाड़	[signature]
8.	दीपक कुमार धाकड़ (बीजवाड़)	Deepak
9.	नोलाराम गुर्जर बीजवाड़	नोलाराम
10.	शंकर लाल धाकड़ बीजवाड़	[signature]
11.	बद्री चौधरी बीजवाड़	बद्रीलाल
12.	मुकेश जाट बीजवाड़	Mukesh
13.	मिलाप जाट बीजवाड़	[signature]
14.	राजेन्द्र नामा केकड़ी	राजेन्द्र नामा

सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
15-	सुरेश जाट केकड़ी	सुरेश
16.	नन्द किशोर मेवदा कलां	नन्दकिशोर [signature]
17.	हंसराज जाट बीजवाड़.	[signature]
18.	[illegible] Jain Bijwad	[signature]
19.	[illegible] Bigwad	[signature]
20.	Brajeshwar Pareek Kekri	[signature]
21.	Chinmay Pareek Kekri	[signature]
22.	चन्द्रशेखर सावर देवली	[signature]
23.	प्रहलाद कुमार सोनी बीजवाड़	[signature]
24.	Gauri Shankar [illegible] Jaipur	[signature]
25.	BHOOPENDRA PRASHAAT USEPL	[signature]
26.	Sunil yadav USEPL	Sunil
27.	Rajnish Kumar Soni	[signature]
28.	om prakash mehta	[signature]
29.	Jaiprakash Amir	[signature]
30.	कैलाश चन्द्र सैनी पूर्व अध्यक्ष न. पा. देवली येन 9929025016	कैलाश
31.	रजनीश शर्मा बीजवाड़	[signature]
32.		
33.		
34.		

tion building...
the cow's remains were brought out of the building.

Sodala SHO Surendra Singh said police are in the process of ...

... Jaipur Municipal Corporation (Heritage) started the demolition of the building. **ENS**

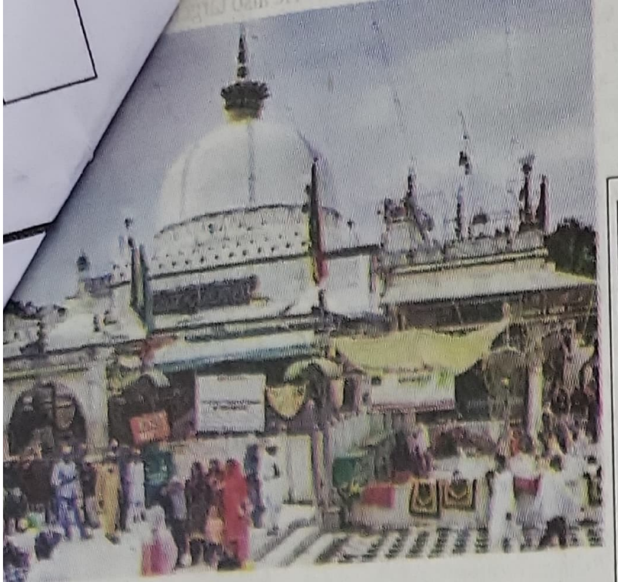

...ated for PM Narendra Modi's birthday on September 17. *ANI*

SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY
(Formerly University of Pune)

Online Applications are invited for the various teaching positions in the University Departments from 14.09.2024 to 06. 10. 2024

This Advertisement is issued in continuation of the Advertisement No **36**, dated **30th December, 2023** for Government Sanctioned Teaching Positions in the various University Departments of the Savitribai Phule Pune University.

For qualifications, experience, reservation and other details, please log in to University website **admin.unipune.ac.in/recruitment**

Advt. No. 28 **Prof. (Dr.) Jyoti Bhakare**
Date : 13/09/2024 **Offg. Registrar**

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

Date:21.08.2024

RPCB/RO BUNDI/PUB-116/917

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, रेफरेंस संख्या 20231000075362, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1.सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000075362), कुल क्लस्टर क्षेत्र -15.4249 हेक्टेयर" आवेदक मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.2181 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 233520 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20231000075362, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत देवली।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024(मगंलवार) को दापहर: 12:00 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार देवली तहसील देवली, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

Date:21.08.2024

RPCB/RO BUNDI/PUB-102/838

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, रेफरेंस संख्या 20221000067505, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20221000067505), कुल क्लस्टर क्षेत्र 15.4249 हेक्टेयर" आवेदक मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.4146 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 179592 टीपीए (रोम) जो कि रेफरेंस संख्या 20221000067505, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत देवली।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024(मगंलवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार देवली तहसील देवली, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

Date:21.08.2024

RPCB/RO BUNDI/PUB-103/845

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स दीपक धाकड, रेफरेंस संख्या 20231000090296, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000090296), कुल क्लस्टर क्षेत्र 24.1056 हेक्टेयर" आवेदक मैसर्स दीपक धाकड द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.2397 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 168000 टीपीए (रोम) जो कि रेफरेंस संख्या 20231000090296, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स दीपक धाकड, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवनझालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत देवली।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024(मगंलवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, देवली, तहसील देवली, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

...के शेयरहोल्डिंग 37.60 फीसदी की ऑफ इंडिया के पास 62.40 फीसदी ...ता दें आईआरसीटीसी एक मिनीरत्न ...नों और ट्रेनों में ऑनलाइन रेलवे टिकट ...ल की बिक्री का प्रबंधन करने के लिए ...र है। एलआईसी की हिस्सेदारी में यह ...का हिस्सा है।बीएसई पर एलआईसी ...बढ़कर 1031.45 रुपये पर बंद हुए। ...र की कीमत 931.40 रुपये पर है। ...ढ़कर बंद हुआ। हाल ही में एलआईसी ...री 447 करोड़ रुपये में बेच दी है। ...,682 शेयर यानी 2.085 प्रतिशत ...ये बेची। हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों ...मत पर बेचा गया। हिस्सेदारी बिक्री ...स्सेदारी 8.17 प्रतिशत से घटकर

बढ़ोतरी दर्ज की है। यह बढ़ोतरी खासकर छोटे शहरों में बस यात्रा की बढ़ती मांग को दिखाती है। इसी को देखते हुए, क्लियरट्रिप ने बस पास पेश किया था। यह अपनी तरह का पहला ऑफर है, जो बस यात्रा को और किफायती बनाता है। बस पास का उद्देश्य बार-बार यात्रा करने वालों के लिए पैसे की बचत करना और उन्हें एक बेहतर सुविधा प्रदान करना है।

क्लियरट्रिप के कस्टमर डाटा से पता चला है कि-बस कैटेगरी में अक्सर यात्रा करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है और पिछले 3 महीनों में 32% यूजर्स ने बुकिंग को दोहराया है। तीन महीनों में 15% यूजर्स ने कम से कम तीन बार बुकिंग की है। बस यूजर्स मूल्य

...बेंगलुरु-हैदराबाद, ... मदुरै और कोयंबटूर-बेंगलुरु टॉप रूट्स हैं जिनकी बुकिंग बार-बार कराई जाती है। ग्राहक बस बुकिंग करते समय 150 रूपये के शुल्क पर बस पास को खरीद सकते हैं। बस पास के फायदे इस प्रकार हैं- ग्राहकों को 300 रूपये के न्यूनतम ऑर्डर वैल्यू पर मौजूदा बुकिंग के लिये तुरंत 100 रूपये का डिस्काउंट मिलेगा (दूसरे कूपन्स के अलावा)। एक बस पास से इस डिस्काउंट वाली कीमत पर ग्राहक अधिकतम 5 बुकिंग कर सकते हैं। ग्राहक एक बस पास से अपने खर्च में 500 रूपये की बचत का मजा ले सकते हैं। हर बस पास खरीदी की तारीख से लेकर 90 दिनों तक के लिये वैध होता

है, जो उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को दर्शाती है। हम बाजार की गहरी समझ के आधार पर ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करें। क्लियरट्रिप का बस पास ग्राहकों को बेहतरीन सुविधा और किफायती यात्रा का अनुभव देगा। हमारा लक्ष्य यात्रा को सस्ता और आसान बनाना है, साथ ही एक भरोसेमंद साथी के रूप में अपनी जगह बनाए रखना है। क्लियरट्रिप अपने अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाहता है और इसीलिए इसने हाल ही में फ्लिपकार्ट पर बसों की टिकटें बुक करने की नई सुविधा शुरू की है।

...कीमतों में की ...पये में उपलब्ध

तस्वीरें लेने की क्षमता को नए स्तर पर ले जाता है और आपको रचनात्मक स्वतंत्रता देता है। इसमें क्वाड टेली सिस्टम के साथ 5× ऑप्टिकल जूम लेंस दिया गया है, जो 50 MP सेंसर पर काम करता है। इससे 2×, 3×, 5× से लेकर 10× तक के जूम लेवल पर भी आपको ऑप्टिकल क्वालिटी की बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है, और इसका श्रेय एडैप्टिव पिक्सल सेंसर को जाता है। 100× डिजिटल जूम पर ली गई इमेज भी साफ दिखती हैं। अपग्रेड की गई ...मताओं के साथ, गैलेक्सी ...पर स्पेस जूम का इस्तेमाल ... तस्वीरें और वीडियो हर ...होते हैं, चाहे आप उन्हें ...जूम करें। इसका बड़ा ...ज अब 1.4 μm है, जो ...% बड़ा है, जिससे कम ...यादा लाइट कैप्चर करने में ...है।

...S24 अल्ट्रा 6.8 इंच के ...के साथ आता है, जो न ...के लिए बल्कि काम करने के ...तरीन है। इसमें स्नैपड्रैगन0 8 ...प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ...है, जिससे AI प्रोसेसिंग और ...जाती है। इसकी 2600 निट्स ...फीचर्स इसे और भी खास

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-103/845 Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स दीपक धाकड़, रेफरेंस संख्या 20231000090296, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000090296), कुल क्लस्टर क्षेत्र 24.1056 हेक्टेयर'' आवेदक मैसर्स दीपक धाकड़ द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.2397 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 168000 टीपीए (रोम) जो कि रेफरेंस संख्या 20231000090296, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स दीपक धाकड़, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिलप कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत देवली।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024(मगलवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, देवली, तहसील देवली, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO BUNDI/PUB-102/838

Date:21.08.2024

विषय:- मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, रेफरेंस संख्या 20221000067505, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सुचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20221000067505), कुल क्लस्टर क्षेत्र 15.4249 हेक्टेयर'' आवेदक मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.4146 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 179592 टीपीए (रोम) जो कि रेफरेंस संख्या 20221000067505, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहीं तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत देवली।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024(मगंलवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार देवली तहसील देवली, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

है। इंटरप्रेटर फीचर ... गए, बातचीत को स्प्लिट-स्क्रीन पर तुरंत अनुवाद किया जा सकता है, और ये फीचर मैसेजेस और दूसरे ऐप्स पर बिना इंटरनेट के भी काम करता है। चैट असिस्ट फीचर, ... फीचर भी शामिल है, जो यूजर्स के लिए जानकारी खोजना और भी आसान बनाता है।

गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में प्रोविजुअल इंजन फीचर है, जो AI से पावर्ड टूल्स का एक बेहतरीन सेट है। यह आपकी ... इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिससे AI प्रोसेसिंग और भी तेज हो जाती है। इसकी 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसे और भी खास बनाती है।

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-116/917 Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, रेफरेंस संख्या 20231000075362, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1.सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000075362), कुल क्लस्टर क्षेत्र -15.4249 हेक्टेयर" आवेदक मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.2181 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 233520 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20231000075362, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी देवली,जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत देवली।
9.राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024(मगंलवार) को दापहर:12:00 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार देवली तहसील देवली,जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी